न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डा. रविन्द्र गोस्वामी, **I.A.S.**

प्रकरण संख्या —36 / 2023 (अपील)

GCMS No.- 2023 / 176

1. दिपाली सिंघल पुत्री स्व. हरीश अग्रवाल
2. रेणु गुप्ता पत्नी स्व. हरीश अग्रवाल
3. रूपाली गोयल पुत्री स्व. हरीश अग्रवाल
4. राखी गर्ग पुत्री स्व. हरीश अग्रवाल
5. सन्दीप अग्रवाल पुत्र स्व. हरीश अग्रवाल
   जाति महाजन, निवासीगण मोहन टाकिज, सब्जीमण्डी कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. राजऋषि एग्रो प्रा0लि0 जरिये निदेशक सतीश मितत्तल पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन, पता सुगन्धम गुमानपुरा मेन रोड़ कोटा
2. तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा राज0

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी इन्तकाल संख्या 913 दिनांक 20.12.2022 ग्राम दसलाना तहसीलदार लाडपुरा ।

उपस्थितः—

1. श्री वी.के. राठौड़ अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक—13.02.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दससलाना तहसील लाडपुरा कोटा स्थित खाता संख्या नया 112 पुराना 76 की खसरा नम्बर 861 / 698 रकबा 1.92 हे0 किस्म नहरी प्रथम खातेदार राजऋषि एग्रों प्रा0 लि0 जरिये निदेशक सतीश मितत्तल पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन व हरीश अग्रवाल आत्मज श्री कैलाशनाथ के नाम चली आ रही थ, उक्त आराजी में से 0.90 हे0 भूमि नामान्तकरण सं0 579 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज हो गयी है, इसके पश्चात उक्त आराजी के खाता संख्या नया 131 पुराना 112 खसरा नम्बर 861 / 698 (पश्चिम) रकबा 0.77 हे0, किस्म नहरी प्रथम एवं खसरा नम्बर 951 / 861 रकबा 0.25 हे0 कुल किता—2 रकबा 1.02 हे0 कायम किये गये । रेस्पो0 कम्पनी के डायरेक्टर श्री हरीश अग्रवाल का दिनांक 13.9.2022 का इन्तकाल हो जाने कम्पनी के डायरेक्टर श्री संदीप अग्रवाल बना किन्तु तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त भूमि का फोती इन्तकाल संख्या 913 दिनांक 20.12.2022 को हरीश अग्रवाल के वारिसान अपीलान्ट्स के नाम स्वीकृत कर दिया जबकि कम्पनी के डायरेक्टर हरीश अग्रवाल की मृत्यु पश्चात कम्पनी के डायरेक्टर बने श्री संदीप अग्रवाल के नाम इन्तकाल खोलना चाहिए था ।
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.6.2023 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई कि राजऋषि एग्रों प्रा0लि0 के एक निदेशक श्री हरीश अग्रवाल के नाम उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया गया जबकि उक्त भूमि कम्पनी के नाम जरिये निदेशक दर्ज थी, अतः हरीश अग्रवाल के स्थान पर निदेशक बने श्री संदीप अग्रवाल के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिए था । अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलान्ट्स का नाम डिलीट किया जाकर कम्पनी के निदेशक सतीश मितत्तल पुत्र कन्हैयालाल महाजन एवं सन्दीप अग्रवाल पुत्र स्व. हरीश अग्रवाल जाति महाजन के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये, रेस्पो0 नं0 1 की ओर से अभिभाषक लोकेश गोत्तम उपस्थित हुए । इसी प्रकार

जिला कलक्टर
कोटा

इसी इन्तकाल नं0 913 दिनांक 20.12.2022 की अपील इस अपील में रेस्पो0 नं0 1 श्री सतीश मित्तल द्वारा इस अपील में अपीलान्ट्स के विरूद्व पेश की गई, जिसके प्रकरण संख्या 40/2023 उनवान राजऋषि एग्रो जरिये सतीश मित्तल बनाम रेणू गुप्ता वगै0 है, दोनों अपीलों के वकील समान है तथा दोनों ही अपीलों में एक ही प्रार्थना की गई है । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष को सुना गया । अपील संख्या 40/2023 के वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया है इस नामा0 की अपील पूर्व में अपील संख्या 36/2023 प्रस्तुत हो जाने से अपील संख्या 40/2023 भी पूर्व की अपील के साथ कन्सोलिडेट किया जाकर पूर्व की अपील में निर्णय करने हेतु निवेदन किया है ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम दससलाना तहसील लाडपुरा कोटा स्थित खाता संख्या नया 112 पुराना 76 की खसरा नम्बर 861/698 रकबा 1.92 हे0 किस्म नहरी प्रथम खातेदार राजऋषि एग्रों प्रा0 लि0 जरिये निदेशक सतीश मिततल पुत्र कन्हैयालाल जाति महाजन व हरीश अग्रवाल आत्मज श्री कैलाशनाथ के नाम चली आ रही थ, उक्त आराजी में से 0.90 हे0 भूमि नामान्तकरण सं0 579 से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम दर्ज हो गयी है, इसके पश्चात उक्त आराजी के खाता संख्या नया 131 पुराना 112 खसरा नम्बर 861/698 (पश्चिम) रकबा 0.77 हे0, किस्म नहरी प्रथम एवं खसरा नम्बर 951/861 रकबा 0.25 हे0 कुल किता–2 रकबा 1.02 हे0 कायम किये गये । रेस्पो0 कम्पनी के डायरेक्टर श्री हरीश अग्रवाल का दिनांक 13.9.2022 का इन्तकाल हो जाने कम्पनी के डायरेक्टर श्री संदीप अग्रवाल बना । किन्तु तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त भूमि का फोती इन्तकाल संख्या 913 दिनांक 20.12.2022 को हरीश अग्रवाल के वारिसान अपीलान्ट्स के नाम स्वीकृत कर दिया, जबकि हरीश अग्रवाल की मृत्यु के बाद कम्पनी के डायरेक्टर श्री संदीप अग्रवाल के नाम इन्तकाल खोलना चाहिए था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उक्त अपीलाधीन इन्तकाल 913 दिनांक 20.12.2022 विरासत को अपास्त कर उक्त भूमि किता–2 रकबा 1.02 हे0 में अपीलान्ट का नाम डिलीट कर उक्त आराजी की खातेदारी राजऋषि एग्रो प्रा0लि0 जरिये निदेशक सतीश मिततल पुत्र कन्हैयालाल महाजन एवं सन्दीप अग्रवाल पुत्र स्व. हरीश अग्रवाल जाति महाजन निवासीगण मोहन टाकिज, के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें एवं इन्तकाल में हरेश अग्रवाल के स्थान पर हरीश अग्रवाल का नाम संशोधन करने की कृपा करें ।

5. वकील रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया है कि अपीलान्ट द्वारा इस अपील में की गई प्रार्थना स्वीकार करने तथा अपीलान्ट का नाम डिलीट किया जाकर राजऋषि एग्रो प्रा0लि0 जरिये निदेशक सतीश मित्तल पुत्र कन्हैयालाल महाजन एवं सन्दीप अग्रवाल पुत्र स्व. हरीश अग्रवाल जाति महाजन के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें ।

6. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजऋषि एग्रो प्रा0लि0 के निदेशक हरीश अग्रवाल के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम अपीलाधीन इन्तकाल स्वीकृत किया है, उसी इन्तकाल नं0 913 ग्राम दसलाना की यह अपील प्रस्तुत की गई है, अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा एक ही प्रार्थना नामा0 सं0 913 में हरीश अग्रवाल की विरासत को निरस्त कर कम्पनी के डायरेक्टर के नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया है ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 913 दिनांक 20.12.2022 में विरासत अपास्त की जाकर तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम दसलाना के खसरा नम्बर 861/698 (पश्चिम) रकबा 0.77 हे0, किस्म नहरी प्रथम एवं खसरा नम्बर 951/861 रकबा 0.25 हे0 कुल किता–2 रकबा 1.02 हे0 भूमि की खातेदार राजऋषि एग्रो कम्पनी निदेशक की जांच कर पुनः नवीन आदेश पारित करें है ।

8. निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डा. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा